न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 145/2014

बउनवान

सरदार सिंह पुत्र मोहनलाल आयु 40 वर्ष जाति–नायक निवासी ग्राम–दिलोदस तहसील–बारां, जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दुल्हेसिंह, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 26.07.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.3.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–दीलोदा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 20/–रूपये अर्थदण्ड, बेदखली एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय व आदेश एकपक्षीय पारित किया है तथा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का विवादित आराजी ख0नं0 390 रकबा 0.04 है0 पर कोई कब्जा नहीं है तथा तावान राशि भी जमा करवा दी गयी है। निर्णय की जानकारी होने पर अन्दर मियाद अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख तथा विवादित आराजी की वर्तमान रिपोर्ट की मौका रिपोर्ट तहसीलदार,बारां से प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। कब्जा पूर्व से छोड रखा है तथा उसके विरूद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे पूर्व रेकार्ड के आधार पर अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठी रिपोर्ट पेश की है जबकि अपीलांट ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काफी पूर्व से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्ष 2014 में कब्जे के संबंध में सत्यापन किया था जो मौका रिपोर्ट दिनांक 17.10.2014 से प्रमाणित कि उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है। वर्तमान में भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां से मौका रिपोर्ट दिनांक 15.3.2018 प्राप्त हुई है जिसमें भी अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त आराजी पर अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व नियम विरूद्व कार्यवाहीं करते हुये सजायाब किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1229 / 12 निर्णय दिनांक 26.10.2012 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया सहीं एवं न्याय सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जबकि उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा छोड रखा है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली व मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट उक्त आदेश की पालना में चार दिवस न्यायिक अभिरक्षा में भी रह चुका है। इसलिये अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सजा माफ करना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास को सजा, भुगती हुयी सजा को छोडकर, सजा माफ की जाती है तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official